



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 08 माह का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-491/2016 धारा-20/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कल्लू राजपूत पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम औंता थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 08 माह का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 अरविन्द
कुमार मौर्या



पैरोकार- थाना
मझगवां
का0 सर्वज्ञ